संख्या-20/2026/।/1278127/2026/11-4099/64/2025

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत **वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान** के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-बी-1-5-बजट /पुनर्विनियोजन/2025-2026/797/ राज्य कर, दिनांक 13.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व लेखा के अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2040-800-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के मानक मद 03- मंहगाई भत्ता में सम्भावित बचत के सापेक्ष खण्ड कार्यालयों से प्राप्त मॉग एवं आगामी व्ययों के दृष्टिगत लेखाशीर्षक 2040-800-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के विभिन 07 मानक मदों में कुल रु0 690.00 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2040-800-03-**वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान** के विभिन्न मानक मदों पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि **रु0 690.00 लाख (रु0 छ करोड़ नब्बे लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति **(संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार)** निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2040008000300 (वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	04 यात्रा व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
2	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	08 कार्यालय व्यय	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
3	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	09 विद्युत देय	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
4	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
5	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
6	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	29 अनुरक्षण	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
7	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**6,90,00,000 (रुपये छह करोड़ नब्बे लाख मात्र)**

महायोग	6,90,00,000 (रुपये छह करोड़ नब्बे लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।